



उत्तर प्रदेश
Uttar Pradesh

GN 632233

(प्रारूप-अ)

सत्र - 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव
द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शापथ-पत्र का प्रारूप

हम आशीष सिंह एवं अनुराग सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव उचिता श्राम विकास एवं पर्यावरण सुशार समिति शपथपूर्वक निम्नलिखित
बयान करते हैं कि—

- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सेवाई कालेज ऑफ फार्मेसी पता शाम-रेण्डुआ पलहरी, ताहो-नवाबगंज, जिला-वाराण्सी
उम्मीद नामक डिप्लोगा इस फार्मेसी संस्थान की स्थापना 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम पता शाम-रेण्डुआ पलहरी, ताहो-नवाबगंज, जिला-वाराण्सी उम्मीद भूमि है।
- यह कि हमारी उपरोक्त भूमि पर किरी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि
वाद रहित है।
- यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि की के गाठा संख्या 1093 व 1094 कुल रक्कम 0.876
- क्रमशः हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव
सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 07.06.2017 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नागत डिप्लोगा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशे
के अनुसार किया गया है।
- यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित
भवनों की ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- यह कि, इस भूमि पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही
डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Kartikay Kumar Singh
(Advocate)

NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Date..... 11/09/2023

fr

8. यह कि इस संरक्षण में कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि य इस पर निर्मित भवनों में कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नहीं भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संरक्षण के संचालन हेतु आवश्यक तलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि संरक्षण के संचालन हेतु आवश्यक रीकार्ड एवं अर्थक्रिया स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/दस्त द्वारा सब्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शाहन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलि-भाति पालन करेगा। यह कि मेरे संरक्षण में किसी भी अन्य संघीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है, तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कर्जी, कूट्रचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

डॉ सवित्र

डॉ अनुराज

Kartikay Kumar Singh
(Advocate)
NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Date..... 01/09/2023.

I know said Notary before me.